### उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3, संख्या.१५१७ / 8—3—09—57विविध / 09 लखनऊ, दिनांक 🛭 मई, 2009

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—6 सन् 1976) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने वाले न्यू—टाउनिशप विकास क्षेत्रों के लिए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक प्राधिकरण का गठन करते है, जिसे "न्यू टाउनिशप विकास प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

1.	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन;	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो;	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो;	_सदस्य
4.	प्रमुख सचिव; लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो;	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो;	सदस्य
6.	जिला मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित जनपद जिसका भाग न्यू–टाउनशिप विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित हो;	सदस्य
7.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य-सचिव

2. उपर्युक्त प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

भीकृष्ण) प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समिति के समस्त सदस्यगण।

(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संयुक्त सचिव

# 

#### **Notification**

In Exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to constitute an authority to be called the "New Township Development Authority" for the New Township Development Areas to be notified under the above Act, consisting of the following namely:-

		•
1.	The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Housing and Urban Planning Department;	Chairman and Chief Executive Officer
2.	The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	Member
3.	The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Planning Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	Member
4.	The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	Member
5.	The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Urban Development Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	Member
6.	The District Magistrate of the district any part of which is included in the New Township Development Area;	Member
7.	The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh.	Member-Secretary

2. The Headquarter of the aforesaid Authority shall be at Lucknow.

By order

(Shrikrishan)
Principal Secretary

### उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, संख्या. ४१७/ ८-३-०९-५७विविध / ०९ लर्खनंऊ, दिनांक 🖁 जून, 2009 कार्यालय आदेश

उ०प्र० में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से न्यू-टाउनशिप के विकास हेतु निर्धारित नीति विषयक शासनादेश संख्या-2426/8-3-09-57विविध/09, दिनांक-5जून,2009 के अन्तर्गत न्यु टाउनिशप हेतु प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं विकासकर्ता कम्पनी / कन्सॉर्शियम के चयन हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :-

1.	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन;	अध्यक्ष
2.	अधिशासी निदेशक,आवास बन्धु,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।	सदस्य
3.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य,गवर्नमेन्ट आर्किटेक्चर कालेज,लखनऊ।	सदस्य
5.	इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी,लखनऊ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष।	सदस्य
,6.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के लखनऊ में स्थानीय प्रतिनिधि।	सदस्य
7.	अपर निदेशक,नियोजन आवास बन्धु उ०प्र०,लखनऊ।	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त समिति की बैठक आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ के सभागार में आहूत होगी। 3.

> Aslenaz (अष्टभुजा प्रसाद तिवारी

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

समिति के समस्त सदस्यगण। (1)

(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी